राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग
सी– विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2.

सं.फा. 07(02)/2015–16–क0सं0भा/6217-6223 दिनांकः 12/08/15

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. आयुक्त, पूर्वी/उत्तरी/दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
3. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पलिका केन्द्र, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
5. प्रबंध निदेशक, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
6. उप–सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
7. विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त अधीनस्थ/स्वायत्त संस्थाऐं/स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

विषयः सरकारी भवनों, कार्यालयों तथा सडकों के नाम पट्ट हिन्दी के साथ–साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के दिनांक 17.03.2004 के समसंख्यक पत्र और दिनांक 25.04.2004 के अनुस्मारक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनमें दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में उर्दू व पंजाबी भाषा के प्रयोग के लिये की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट हिन्दी के साथ–साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाने का अनुरोध किया गया था।

आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 में उर्दू और पंजाबी भाषा के लिये किये गये प्रवाधानों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है कि समस्त सरकारी कार्यालयों, भवनों के नाम पट्ट हिन्दी के साथ–साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाये जाएें। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई के लिये इस विभाग के अलावा सचिव, उर्दू को फोन नं0 23863566, 23863658, 23863697, 23865436 तथा सचिव पंजाबी को फोन नं0 23615979,23616243 से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(रमेश तिवारी, आईएएस)
सचिव (भाषा)

सं.फा. 07(02)/2015–16–क0सं0भा/6224-6227 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।

(हस्ताक्षर)

(रमेश तिवारी, आईएएस)
सचिव (भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग
सी– विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2.

सं.फा. 07(02)/2015–16–क0सं0भा/6228 – 6229 दिनांकः 12/08/15

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानीय निकाय,
   स्वायत्त संस्थाऐं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषयः भाषाजात अल्पसख्यकों की समस्याओं हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने से संबंधित।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग से जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.07.2004 को देखने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिल्ली के भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं के लिये नोडल अधिकारी मनोनीत करने का अनुरोध किया गया था। जैसाकि आपको विदित है कि दिनांक 26.01.2004 से लागू दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 द्वारा उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दिल्ली की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके अनुसार समस्त विभागों/कार्यालयों द्वारा सभी प्रकार के पत्र, शिकायत इत्यादि उर्दू एवं पंजाबी भाषा में भी स्वीकार किया जाना और इसका उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभागों/कार्यालयों में उर्दू व पंजाबी भाषा–भाषियों की समस्याओं से संबंधित नोडल अधिकारी मनोनीत कर यथाशीध्र दिनांक **15 सितम्बर 2015** तक उसका नाम, पता एवं दूरभाष संख्या इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

विशेष टिप्पणीः– उर्दू एवं पंजाबी भाषा से संबंधित कार्यो में सहायता के लिये इस विभाग के उर्दू एवं पंजाबी सैल से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(रमेश तिवारी, आईएएस)
सचिव (भाषा)

सं.फा. 07(02)/2015–16–क0सं0भा/6230 – 6233 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय।

(रमेश तिवारी, आईएएस)
सचिव (भाषा)